(d) and (e) Government has worked *out* an attractive package of terms and conditions for encouraging risk capital i investment in exploration and subse-quent production. Discovered oil and gas fields have also been offered for development by private companies under joint venture arrangements for medium sized I fields and under production sharing con-tract for small sized fields.

To increase indigenous production of petroleum products, efforts are being made to increase he refinding capacity by taking *up* expansion of existing re fineries and setting up if new grassroot refineries in the pubilc sector, joint ven ture and private sector besides promot ing conservation of petroleum products in various fields. Through conserva-tion measures, it has been possible to achieve a quantifiable savings of about Rs. 950.40 crores and Rs. U74.88 crores during 1992.-93 and 1993-94 respectively.

असत्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर खोली गई रसोई गैस एजेंसियों का जारी रहना

1239. श्री आस मोहम्मद :
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इन रसोई गैस एजेंसियों को चलाना जारी रखने की अनुमति दे रही है जिनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उन एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके अनुसूचित/जाति अनुसूचित जनजाती के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई थी ;

(घ) 30 नवम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने मामलों की जांच पूरी हो गई है और कितने मामले न्यायाधीन है ; और

(ङ) जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ङ) पिछले 5 वर्षों के दौरान 6 मामलों में चयनित डिस्ट्रीब्यूटरों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई है । एक मामला बम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ में लंबित है और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार डिस्ट्र-ब्यूटर को प्रचालन करने की अनुमति दी जा रही है। दो मामलों में डिस्ट्रीब्यूटर-शिपों को समाप्त कर दिया गया है। बाकी के 3 मामलों में चुने हुए डिस्ट्री-ब्यूटरों के विरुद्ध आरोप वापस लिए गए है, क्योंकि उनके जाति प्रमाणपत्र की पुष्टि उच्च न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है ।

'^f faring of off fltaicwte supply IresselQ by ONGC

0 L>R. NAUNIHAL SINGH: Vill the Minister of PETROLEUM AND URAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ttors of Off-shore Supply Vessels fOSVs) have deserted the Oil and Natu-lal Gas Corporation (ONGC), if so, v.'lrat arc Ihc reasons therefor;

(b) what were the details of the terms ondrtions on which OSVs were chartered; and

f.-i what are the details of the steps Government have taken to avert the situation?